न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरू प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./91/2024

1. बिरजू पुत्र मिठूदास जाति साधु निवासी राममालियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. बंशीदास पुत्र जगन्नाथदास जाति साधु निवासी राममालियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी(अविवाहित नाऔलाद फोत)
3. गोरधन पुत्र मिठूदास जाति साधु निवासी राममालियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी(अविवाहित नाऔलाद फोत)
4. रतनी पत्नी मिठूदास जाति साधु निवासी राममालियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. रामा पुत्र गोकुल जाति साधु निवासी राममालियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
6. हीरा पुत्र गोकूल जाति साधु निवासी राममालियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी(फोत)
   6/1 गोपाल पुत्र हीरा जाति साधु निवासी राममालियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
   6/2 कमला पुत्री हीरा जाति साधु निवासी राममालियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थी

बनाम

1. गोपाल पुत्र देवी जाति जाट निवासी राममालियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–31.07.2024

उपस्थित 1. वकील प्रार्थी– श्री शिवचरण चौधरी
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा राममालिया पटवार क्षेत्र राममालिया भू0अ0नि0 क्षेत्र धांतोल के खाता सं0 370 में दर्ज खसरा नम्बर 643/2678 रकबा 0.77 कुल किता 01 कुल रकबा 0.77 हैक्ट जो कि प्रार्थीगणों की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 02 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।स

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 की तलबी नियमानुसार जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक से होने के उपरान्त भी अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब सरकार पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताविक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा दौराने वहस न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजी में बतौर सहखातेदार दर्ज बंशीदास पुत्र जगन्नाथदास तथा गोरधन पुत्र मिठूदास नाऔलाद फौत हो चुके है, तथा प्रार्थी संख्या 01 श्री बिरजू इनके एकमात्र विधिक वारिसान है। संबंध में बिरजू द्वारा एक शपथ–पत्र अभिलेख में लगाया गया है। एक अन्य सहखातेदार हीरा पुत्र गोकूल के फौत हो जाने से उनके विधित वारिसान पुत्र गोपाल तथा पुत्री कमला को पत्रावली में पक्षकार बनाया गया है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस को आगे बढाते हुए, प्रार्थना–पत्र धारा 128 भू0रा0अधिनियम वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए दौराने बहस निवेदन किया है कि प्रश्नगत आराजी में बतौर सहखातेदार दर्ज बंशीदास पुत्र जगन्नाथदास तथा गोरधन पुत्र मिठूदास नाऔलाद फौत हो चुके है, तथा प्रार्थी संख्या 01 श्री बिरजू द्वारा इनके एकमात्र विधिक वारिस बताते हुए एक शपथ–पत्र संलग्न किया जाकर प्रार्थना–पत्र धारा 128 भू0रा0अधिनियम पेश किया है। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम राममालिया के खाता संख्या 370 संवत 2071–2074(वर्ष 2019 में स्थाई) में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय शपत–पत्र के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की सहखातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली अन्तर्गत धारा 128 रा0का0अधिनियम मय शपथ–पत्र, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा राममालिया पटवार क्षेत्र राममालिया भू0अ0नि0 क्षेत्र धांतोल के खाता सं0 370 में दर्ज खसरा नम्बर 643/2678 रकबा 0.77 कुल किता 01 कुल रकबा 0.77 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार नागोला को 500/– रू(पांच सौ रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

(गुरू प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकडी
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)